भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3108

सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

डीपीपीएच और ओपीएमडी के माध्यम से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना

3108. श्री अजय कुमार मंडलः
श्रीमती नवनित रवि राणाः
श्रीमती रमा देवीः
श्रीमती लॉकेट चटर्जीः
श्री रमेश चन्द्र कौशिकः
श्री सुनील कुमार पिन्टूः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) घरेलू संवर्धन, प्रचार और आतिथ्य (डीपीपीएच) और ओपीएमडी योजनाओं के माध्यम से घरेलू और वैश्विक बाजारों में पर्यटक स्थल के रूप में महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्य से क्या लाभ प्राप्त हुए हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) महाराष्ट्र में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और खर्च की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या स्वीकृत योजनाएं और अनुमोदित परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (च): पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा सहित देश में पर्यटन को गति प्रदान करने और विदेशी तथा घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं/पहलें शुरू की हैं। जिनका ब्यौरा निम्नानुसार हैः

i. 24x7 टॉल फ्री बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन।

ii. 165 देशों के नागरिकों के लिए 5 उपश्रेणियों यथा ई-पर्यटक वीज़ा, ई-बिजनेस वीज़ा, ई-मेडिकल वीज़ा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा तथा ई-सम्मेलन वीज़ा के लिए ई-वीज़ा की सुविधा प्रदान करना।

iii. ई-वीज़ा का और अधिक उदारीकरण किया गया है और वीज़ा शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की गई है।

iv. विरासत स्थलों/स्मारकों और अन्य पर्यटक स्थलों पर पर्यटक संबंधी सुविधाओं के विकास और रखरखाव के लिए एक विरासत अपनाएं परियोजना।

v. पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए 1001 रु. से 7500 रु. प्रति रात्रि के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी को घटाकर 12% और 7501 रु. से अधिक के टैरिफ वाले कमरों पर जीएसटी को 18% कर दिया गया।

vi. पर्यटन मंत्रालय की सिफारिश पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा आरसीएस उड़ान योजना के तहत चिह्नित एयर लाइनों को 59 पर्यटन रूट सौंपे गए हैं जिसके लिए पर्यटन मंत्रालय ने वीजीएफ (व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है। अद्यतन स्थिति के अनुसार इनमें से 51 रूटों पर प्रचालन शुरू हो गया है।

उपरोक्त उद्देश्यों को एकीकृत विपणन और संवर्धनात्मक कार्यनीति और यात्रा व्यापार, राज्य सरकारों तथा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के सहयोग से एक समन्वित अभियान के माध्यम से पूरा किया जाता है । सरकार उद्योग विशेषज्ञों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में रहती है और भारत के विभिन्न पर्यटन उत्पादों के संवर्धन के लिए उनके सुझाव और प्रतिक्रिया लेती है। आगंतुकों के आगमन में वृद्धि करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने "इंक्रेडिबल इंडिया! विज़िट इंडिया ईयर 2023" घोषित किया है।"

पर्यटन मंत्रालय महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा सहित देश के पर्यटन गंतव्यों और पर्यटन उत्पादों का समग्र रूप से संवर्धन करता है। यह संवर्धन कार्य घरेलू और महत्वपूर्ण वैश्विक बाजारों में आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) तथा विदेशी संवर्धन एवं प्रचार (ओपीपी) योजनाओं के अंतर्गत निष्पादित किए जाते हैं। पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट - www.incredibleindia.org, देखो अपना देश वेबिनार और सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से भी देश में स्थित पर्यटन स्थलों के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) योजना तथा विदेशी संवर्धन एवं प्रचार (ओपीपी) योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों में व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु में)

क्र सं	योजना/शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22
1	डीपीपीएच	99.63	33.89	40.00
2	ओपीपी	312.04	108.09	09.42

पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन' (प्रशाद) और 'पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों को पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में पर्यटन का संवर्धन भी कर रहा है ताकि आगंतुकों को एक समृद्ध पर्यटन अनुभव प्रदान किया जा सके ।

महाराष्ट्र में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों, व्यय की गई धनराशि और परियोजनाओं की स्थिति का वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

****

अनुबंध

डीपीपीएच और ओपीएमडी के माध्यम से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना के सम्बन्ध में दिनांक 20.03.2023 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †3108 के भाग (क) से (च) के उत्तर में विवरण

स्वदेश दर्शन योजना के तहत महाराष्ट्र में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य में अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रु में)

परिपथ/स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	भौतिक स्थिति (%)	कार्यान्वयन एजेंसी
तटीय परिपथ 2015-16	सिंधुदुर्ग तटीय परिपथ - सागरेश्वर, तारकरली, विजयदुर्ग (समुद्र तट और क्रीक), मितभव का विकास	19.06	18.11	16.45	पूर्ण	महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम
आध्यात्मिक परिपथ 2018-19	वाकी-अदासा-धापेवाड़ा-पराडसिंघा-तेलनखंडी-गिराड का विकास	53.96	32.04	22.04	59%	नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण
	कुल	73.02	50.15	38.49		

पर्यटन मंत्रालय ने अब अपनी स्वदेश दर्शन योजना को 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में परिवर्तित किया है, जिसका उद्देश्य स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का विकास करना है। महाराष्ट्र राज्य में एसडी 2.0 के तहत विकास हेतु 'सिंधुदुर्ग' को गंतव्य के रूप में चिन्हित किया गया है।

****